



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4425 वर्ष 2026

विजय पटेल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार मौर्य, प्रियांशी मौर्य, रेखा सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता, थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि विवेचना के दौरान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें भी उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। तत्पश्चात उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया और बाद में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज उसके बयान में उसने पहली बार आवेदक का नाम लिया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और आवेदक जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 01.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत का अधिकारी है। यह भी वचन दिया गया है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया कि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पीड़िता के बयान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में आवेदक की संलिप्तता सामने आई थी तथा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज बयान में ही पीड़िता द्वारा पहली बार उसका नाम लिया गया था।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री धारा 180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों व अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि पीड़िता जो कि एक विवेकशील महिला है, ने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपने बयान में आवेदक का नाम नहीं लिया था और धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में पहली बार आवेदक की संलिप्तता उजागर हुई। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

7. आवेदक- **विजय पटेल** को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56 वर्ष 2026 में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके समान अपराध का वह अभियुक्त या संदिग्ध है।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जिस तिथि को साक्षी न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस तिथि को वह साक्ष्य हेतु कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि के अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (क) प्रकरण की सुनवाई, (ख) आरोप विरचित करने, तथा (ग) धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई करने का विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रकरण में उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

11 जून, 2026

वी.के.एस.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।